न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 70/2010

वादीगण :-

1. लाबूराम पुत्र सुजाराम जाट
2. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाट
3. पुसाराम पुत्र भंवरलाल जाट
4. रामलाल पुत्र भंवरलाल जाट

निवासीगण ग्राम-बांजाकुडी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भंवरुराम पुत्र हरजीराम जाट
   फौत के कायम मुकामानः-
   1/1 ओमप्रकाश पुत्र भंवरुराम
2. झणकारी पत्नी मूलाराम जाट
3. गुदडराम पुत्र भोलाराम जाट
4. अमराराम पुत्र भोलाराम जाट
5. चैनाराम पुत्र भोलाराम जाट

निवासीगण ग्राम-बांजाकुडी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.29.06.2010

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 15/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-बांजाकुडी, तहसील-जैतारण में वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 747 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं, जिस पर वादीगण अपने पिता प्रपिता के समय से काबिज होकर के काश्त करते आ रहे हैं। नकल चालू जमाबंदी इस वाद के साथ पेश की हैं। आरजी को वाद-पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वादीगण की वंशावली अनुसार मूल पुरूष सूजाराम पुत्र रुघाराम के पुत्रगण भंवरुराम व लाबूराम हुए तथा भंवरुराम के पुत्रगण बाबूलाल, पुसाराम व रामलाल हुए। विवादित आराजी पर वक्त सैटलमेन्ट के समय व उसके पूर्व से ही इस विवादित आराजी पर वादीगण के पिता व दादा सुजाराम पुत्र रुघा काबिज होकर काश्त कर रहे थें एवं तब से ही सूजाराम के बाद वादीगण का इस आराजी पर कब्जा व काश्त हैं। जिसकी प्रमाण स्वरुप खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 से लगायत 2020 की इस वाद के साथ पेश की हैं। जिसमें विवादित आराजी पर काश्त सूजाराम पुत्र रुघा का दर्ज हैं। वक्त सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारीयों व कर्मचारीयों की गलती से उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पूर्वज गोकल पुत्र धूला के नाम दर्ज हो गई थी, जो कालान्तर में माफिक उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं। जिसके प्रमाण स्वरुप सभी चौशाला जमाबंदीया इस वाद पत्र के साथ पेश की हैं। विवादित आराजी सैटलमेन्ट के समय गलती से प्रतिवादीगण के पूर्वज गोकल के नाम दर्ज हुई थीं। वास्तविकता में इस विवादित आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार सूजाराम पुत्र रुघा ही थे एवं उनका लगातार इस आराजी पर कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं। माफिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत एवं धारा 19 के माफिक भी वादीगण इस विवादित आराजी की खातेदारी आने नाम घोषित करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण का पिता प्रपिता के समय से ही इस आराजी पर काश्त हैं। इस प्रकार से एडवर्स पजेशन के सिद्धान्तानुसार भी वादीगण इस विवादित आराजी के मालिक व भोक्ता हो गये हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

इसी माफिक आराजी की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाकर राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की वादीगण प्रविष्टी कराने के अधिकारी होने यह वाद पत्र बाबत घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश हैं। विवादित आराजी पर वादीगण का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा व काश्त हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड में आराजी प्रतिवादीगण के नाम हैं। जिसकी जानकारी दिनांक 08/06/2010 को वादीगण ने हल्का पटवारी से विवादित आराजी की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति वास्ते अपने किसान विकास पत्र बनाने हेतु जमाबंदी मांगी तब हलका पटवारी ने बताया कि यह भूमि आपके नाम नहीं हैं जिस पर वादीगण को जानकारी हुई, तब वादीगण ने सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड प्राप्त किया व प्रतिवादीगण से रेकर्ड दुरुस्ती से इन्कार कर दिया व वादीगण को इस आराजी से बेदखल करने की एलानिया धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण को इस आराजी से बेदखल किया, तो वादीगण को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्याकंन मुद्रा में नही किया जा सकता हैं तथा वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्य का विरोध करेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 08/06/2010 को हल्का पटवारी द्वारा से विवादित आराजी की चालू जमाबंदी मांगने पर व पटवारी द्वारा वादीगण को यह बताने पर कि आराजी उनके नाम की नहीं है। तब पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा रेकर्ड दुरुस्ती कराने से ईन्कार करने पर बमुकाम-बाजांकुडी, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बांजाकुड़ी में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौके पर मजमा-ए-आम पक्षकारान् को समझाईश की गई। पक्षकारान् द्वारा दिनांक 13/01/2014 को राजीनामा पेश किया गया, जिसे तरदीक किया जाकर सा0मि0 किया गया। बहस राजीनामा हेतु बार-बार समय दिए जाने के बावजूद भी बहस नहीं करने से बहस बन्द की जाती हैं। राजीनामा में यह निवेदन किया कि माफिक दावा डिक्री फरमावें। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश करने पर वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-बांजाकुडी, तहसील-जैतारण में वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 747 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाता हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर-बांजाकुड़ी पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. लाबूराम पुत्र सुजाराम जाट		1. भंवरुराम पुत्र हरजीराम जाट
2. बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाट		फौत के कायम मुकामानः-
3. पुसाराम पुत्र भंवरलाल जाट		1/1 ओमप्रकाश पुत्र भंवरुराम
4. रामलाल पुत्र भंवरलाल जाट		2. झणकारी पत्नी मूलाराम जाट
निवासीगण ग्राम-बांजाकुडी		3. गुदडराम पुत्र भोलाराम जाट
तहसील-जैतारण, जिला-पाली		4. अमराराम पुत्र भोलाराम जाट
		5. चैनाराम पुत्र भोलाराम जाट
		निवासीगण ग्राम-बांजाकुडी
		तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:70/2010

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-बांजाकुडी, तहसील-जैतारण में वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 747 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाता हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ...-...मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल यावी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा	01	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	13	-00	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	05	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	20	-00	मिजानः-	01	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner